

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारा (राज.)**

वाद/प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
69/23	53, 88, 89, 91, 188 RTA	उमरथाना	छबड़ा
वादी		वाद शीर्षक	प्रतिवादी
अजय वर्मा वगै.		बनाम	रामलाल वर्मा वगै.
वकील :- श्री अश्विनेश शर्मा		आदेश पत्रक	वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
18/23	अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 91, 188 आरटीए विरुद्ध प्रतिवादी गण के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादी गणों को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 11.09.2023 को पेश हो।	
19-10-23	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 7.12.23 को पेश हो।  न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा),	
7.12.23	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 7.2.24 को पेश हो।  रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा),	
7-2-24	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 27-3-24 को पेश हो।  रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा),	
27.3.24	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 20.5.24 को पेश हो।  रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा),	
20.5.24	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उधर जर्ज वादी उधर की तलबी श्रेष्ठ तलबान पेश करे पत्रावली वादी तलबी दिनांक 1.7.24 को पेश हो।	

1.7.24 पत्रावली पेश हुई। वकील वारी उपर। प्रतिवादी गंगो की तलवी नही हुई है। तलवी हेतु नलवाना आज ही पेश करे पत्रावली वास्तव तलवाना दिनांक 22.7.24 को पेश हो।

22.7.24 आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 11.9.24 को पेश हो।

*ly*  
रीडर  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारा)

11.9.24 आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 30.10.24 को पेश हो।

*ly*  
रीडर  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारा)

30.10.24 आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 2.12.24 को पेश हो।

*ly*  
रीडर  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारा)

2-12-24 आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 2.1.25 को पेश हो।

*ly*  
रीडर  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारा)

22.1.25 पत्रावली पेश हुई। वकील वारी उपर नहीं है। वारीगण (वर्ग) भी उपर नहीं है। न्यायालय के क्रक-कक पर तीस बार कावाज लागवाई गई। कोई उपर नहीं डूपा। प्रकरण कुछ राजरी एवं कुछ पैरवी के खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुनार होकर सम्पन्न हो।